

दिनांक

15/9/25

पत्रावली पेश हई। जाणी आधिकार उपा-अपाणी
सं-4, 9, 11 व 12 के सम्मन पेश नही। जाणी को
अपाणीगण की ललनी हेतु पत्रावली अवासर दिने जाणे
के बावजूद ललनी हेतु सम्मन पेश नही किये
जाने से जाणी द्वारा उपरुत जाणीना पत्र अन्तर्गत
धारा 212 राजस्थान काष्ठकारी अधिनियम की
आदेश 9 नियम 5 जा-कीवारी में अ-आपालन आदेश
की पालना नही किये जाने से त्रासित कि जा जात
है। निम्निले सरे उपलान सुनाया गया। पत्रावली
कामल शुभार होकर दारुिल दफ्तर ही वजा नम्बर
से कम हो।


15/9/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा